न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—108/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/108)

1. केदार पुत्र रामकरण मृतक जरिए वारिसानः—
   1/1 लालीदेवी पत्नि स्व0 श्री केदार
   1/2 राजेन्द्र पुत्र स्व0 केदार
   1/3 रामप्रसाद पुत्र स्व0 केदार
   1/4 मनीषा पुत्री स्व0 केदार
2. सूरतराम पुत्र रामकरण
3. वेजनाथ पुत्र रामकरण
   समस्त जाति जाट निवासी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

वनाम

1. रामलाल पुत्र बालूराम
2. अमर पुत्र नाथू
3. सजनी पत्नि औंकार
4. रामदेव पुत्र औंकार
5. ससोहनी पत्नि रामेश्वर
6. शिवराज पुत्र रामेश्वर
7. शंकर पुत्र रामेश्वर
8. मुकेश पुत्र रामेश्वर
   समस्त जाति जाट निवासी गुर्जरवाडा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

असल रेस्पोडेंटस

10. रतनी पुत्री रामकरण
11. मनराज पुत्री रामकरण
    समस्त जाति जाट निवासी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 53/2014

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री हसन खॉन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः—31.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंटस अंतर्गत धारा 53, 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद पत्र दिनांक 15.4.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किए गए तत्पश्चात पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से एवं 4 से 7 एवं 8 से 10 की ओर से निरंजन चौधरी एडवोकेट ने पावर पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बकाया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत रही। यहां पर यह निवेदन करना भी उचित होगा कि विवादित आराजी मुतनाजा बाबत एक अन्य वाद अपीलांट्स द्वारा वाद संख्या 30/2015 बउनवानी केदार बनाम रामलाल वगैरह के नाम से उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इसी आराजी मुतनाजा के बाबत दिनांक 20.2.2015 को प्रस्तुत किया जिसे भी दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात वाद संख्या 53/2014 में ना तो किसी पक्षकार द्वारा जवाब पेश किया गया एवं ना ही सभी पक्षकारों की तलबी पूर्ण की गई एवं पत्रावली वास्ते बकाया पक्षकारों की तलबी हेतु नियत रही एवं दिनांक 16.3.2018 को बिना सभी पक्षकारों की तलबी कराए बगैर पत्रावली में हस सुन ली गई एवं पत्रावली को वास्ते दिनांक 26.3.2018 को आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया। तत्पश्चात पत्रावली में पी0ओ0 साहब बाहर भ्रमण पर हैं की सील अंकित की गई एवं दिनांक 13.12.2018 को पत्रावली में बिना जवाबदावा लिए, बिना बयान लिए प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय की पूर्व में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि प्रार्थीगण अपने अभिभाषक पर आश्रित थे एवं प्रार्थीगण के अभिभाषक ने यह कह रखा था कि जब भी आपके प्रकरण का फैसला होगा सूचित कर दिया जायेगा परन्तु प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री नीरज कुमार जैन द्वारा प्रार्थीगण को सूचित नहीं किया गया जिससे प्रार्थीगण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी व प्रकरण संख्या 30/2015 को प्रकरण संख्या 53/2014 में सम्मिलित करते हुए निर्णय पारित कर दिया। चूंकि उपरोक्त सम्मिलित करने में भी प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था एवं प्रकरण संख्या 53/2014 की पत्रावली में ही कुर्रेजात रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा बनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाकर प्रस्तुत कर दी गई एवं प्रार्थीगण कम पढे लिखे व्यक्ति होने से उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गए परन्तु जब प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि बंटवारे में प्रार्थीगण को कम हिस्सा दिया जा रहा है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किया जिसे गलत रूप से विपक्षी/वादी रामलाल द्वारा विड्रो करवा कर प्रकरण का निस्तारण करवा दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई तत्पश्चात प्रार्थीगण दिनांक 2.2.2023 को जमाबंदी की नकल निकलवाने हल्का पटवारी के पास गए तब उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2023 को प्रस्तुत किया उसी दिन नकल प्राप्त कर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आए एवं अभिभाषक नियुक्त कर अविलम्ब उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ए0आई0आर0 1981 एस0सी0 पेज 3222 पैरा 11 अनुसार मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया के तहत प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा प्रस्तुत अपीलांट को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए, जिसके उपरान्त दोनो पक्षो की उपस्थिति मे प्राथमिक डिकी दिनांक 13.12.2018 को बनाई जाकर नक्शे कुरेजात तहसील केकडी से मंगाए जाने के आदेश पारित किए गए उक्त अनुपालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.8.2019 को मौके पर उपस्थिति हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किए गए, जिनकी उपस्थिति मे वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया गया है व नक्शे कुरेजात बनाए गए है, जिस पर स्वयं अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के तथ्य बेबुनियाद है उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वरन स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र विड्रो किए जाने पर अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 को विधिवत रूप से पारित की गई है। न्यायालय के समक्ष उक्त पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व मिथ्या तथ्यों के आधार पर मद संख्या 2 में कथन वर्णित करते हुए अपील प्रस्तुत की गइ है, जो कि मियाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांट्स को जवाबदावे का अवसर दिये बगैर प्राथमिक डिक्री जारी करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो कि अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के तहत प्रत्येक खातेदार को समुचित तामील करवाई जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने में निहित क्षेत्राधिकर से बाहर जाकर प्रकरण तलबी में नियत होने के बावजूद भी गैर कानूनी रूप से प्राथमिक डिक्री जारी करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो कि प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि बिना अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये दोनों प्रकरणों को इकजाई कर निर्णय पारित कर दिया गया जबकि इकजाई निर्णय पारित करने से पूर्व धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अपीलांट्स को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जा सकता था इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर बिना सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांट्स के वाद को वाद संख्या 53/2014 में सम्मिलित करते हुए गलत रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की है जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किए जाने से प्रथम अपील के माध्यम से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने नॉन स्पीकिंग आदेश से विपक्षी के वाद को डिक्री करने में वैधानिक त्रुटि कारित की है चूंकि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री डेढ़ पेज में निर्णय पारित किया है जबकि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को जवाबदावा लेकर विस्तृत निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य था, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नॉन स्पीकिंग आदेश से विपक्षी के वाद को डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी की वाद वर्णित आराजी वाकै कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर की राजस्व जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 1144 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर कुल किता 19 कुल रकबा 13.89 है0 भूमि जो कि वादी व प्रतिवादी 1 से 12 की बराबर 1/5 हिस्सा अनुसार दर्ज खातेदारी है। वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवारा कर रखा है व अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है किंतु राजस्व रिकार्ड में सह खातेदारी दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त आराजी की सीमाओं बाबत व लगान आदि जमा बाबत कहासुनी होती है। जिसके कारण वादी रामलाल ने राजस्व रिकार्ड में मौके पर पूर्व सहमति से हुए बंटवारे अनुसार बंटवारा राजस्व रिकार्ड में किए जाने हेतु यह दावा पेश किया है। जिसे स्वीकार फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का दावा कस्बा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबंदी संख्या 2069–72 के खाता संख्या 1144 में दर्ज कुल किता खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 13.89 है0 का हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाने बाबत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की आराजीयात में कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे साथ ही तहसीलदार केकडी को मौका कमीश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी का बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्से व मौका पर पूर्व सहमति बंटवारे के अनुसार बंटवारा मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल द्वारा वाद विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंटस अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दिनांक 15.4.2014 को दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। उक्त विवादित आराजीयात्र बाबत अपीलांट द्वारा वाद संख्या 30/2015 बउनवानी केदार बनाम रामलाल वगै0 भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इसी आराजी बाबत दिनांक 20.2.2015 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को भी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वाद को सम्मलित करते हुए एक साथ निर्णय पारित किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है क्यों कि वाद संख्या 53/2014 में ना तो किसी पक्षकार द्वारा जवाब पेश करने का अवसर दिया गया ना ही सभी पक्षकारों की तलबी पूर्ण की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.3.2018 को बिना सभी पक्षकारों की तलबी पूर्ण किए ही प्रकरण में बहस सुन ली गई व पत्रावली को दिनांक 26.3.2018 में नियत रखते हुए आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.12.2018 को बिना जवाबदावा लिए बिना सुनवाई का अवसर दिए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्येक खातेदार को समुचित तामील करवाई जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिए थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिए दोनों प्रकरणों (53/2014, 30/2015) में बिना सुनवाई का अवसर दिए एक साथ निर्णित किए गए है। जो कि नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व जवाबदावा लेकर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संक्षिप्त रूप से बिना विवेचन के निर्णय पारित किया गया है जो नॉन स्पीकिंग आदेश है चूंकि विधि द्वारा सुस्थपित सिद्धान्त है कि न्यायिक आदेश अथवा निर्णय पारित करते समय न्यायालयों को जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 के तहत कारण अंकित करते हुए आदेश एवं निर्णय पारित करना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 04 व 05 की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर न्याय की मंशा से उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2018 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायाल्य को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभय पक्षकारान को जवाब का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए हिस्से अनुसार पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की जावें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner